प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक-39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच.पी. 93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 04-11 अक्तूबर 2021 मूल्य पांच रुपए

क्या "वन रैक वन पैन्शन" मुद्दे पर ब्रिगेडियर पूर्व सैनिकों का पक्ष लेंगे या सरकार का

- क्या अब ब्रिगेडियर फोर लेन प्रभावितों का विरोध करेंगे
- मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पैन्शन पर लिया यू टर्न
- वन रैंक वन पैन्शन की मोदी सरकार द्वारा परिभाषा ही बदल देने पर पूर्व सैनिक अभी तक आन्दोलन पर है
- सर्वोच्च न्यायालय में दिये शपथ पत्र में सरकार ने अपने फैसले पर पुनः विचार से किया इन्कार
- नेता बने पूर्व सैनिक अधिकारियों पर पूर्व सैनिकों या सरकार का पक्ष लेने की चुनौती

शिमला/शैल। भाजपा ने मण्डी लोकसभा क्षेत्र के संसदीय उपचुनाव के लिये कारगिल युद्ध के

हीरो रहे ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। मण्डी क्षेत्र में लम्बे समय से फोर लेन प्रभावितों का मुद्दा चला आ रहा है। ब्रिगेडियर की छवी के आधार पर इन प्रभावितों ने अपने मुद्दे की कमान इन्हें सौप दी थी। ब्रिगेडियर साहब ने भी शिमला के प्रैस कल्ब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपनी टीम के साथ लम्बी लड़ाई का ऐलान कर दिया था। पिछले दिनों जब केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी कुल्लु मनाली की यात्रा पर आये थे और फोरलेन प्रभावितों ने उनसे मिलने का प्रयास किया था तब उन्हें मिलने से रोकने के प्रयासों में स्थिति मुख्यमन्त्री के सुरक्षा कर्मीयों और एस पी कुल्लु के बीच थप्पड़ काण्ड तक घट गया था। आज ब्रिगेडियर खुशहाल फोरलेन के मुद्दे को बीच में ही छोड़कर भाजपा की ओर से उपचुनाव में उम्मीदवार हो गये हैं और न तो प्रभावितों को लेकर कुछ बोल पा रहे हैं न ही सरकार से कोई आश्वासन ले पा रहे हैं।

इन फोरलेन प्रभावितों से भी ज्यादा प्रभावी '' वन रैंक वन पैन्शन'' का मुद्दा जो राष्ट्रीय बन चुका है वह भी ब्रिगेडियर से यह सवाल पूछ रहा है कि इस मुद्दे पर वह पूर्व सैनिकों के साथ है या मोदी सरकार के साथ। क्योंकि पूर्व सैनिक इस मुद्दे को लेकर आज भी आन्दोलन रत हैं। दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर इन पूर्व सैनिकों का क्रमिक धरना-प्रदर्शन जारी है। स्मरणीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पैन्शन मुद्दे पर डा. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में एक कोशियारी कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी ने दिसम्बर 2011 में ही अपनी सिफारशें सरकार को सौंपी पूर्व सैनिक उनसे सहमत थे। लेकिन इसी दौरान भाजपा ने भी पूर्व सैनिकों की एक रैली का आयोजन 15 सितम्बर 2013 को रिवाड़ी में कर दिया। इस रैली में घोषणा की गयी यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनती है तो वह इस पर अमल करेगी। 17 फरवरी 2014 को वित्त मन्त्री ने बजट भाषण में यह आश्वासन दिया और 26 फरवरी को रक्षा मन्त्रालय ने भी इसका अनुमोदन कर दिया। लेकिन इसके बाद जब नयी सरकार आ गयी तब 9 जून 2014 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका अनुमोदन कर दिया गया। परन्तु इसके बाद 7 नवम्बर 2015 को रक्षा मन्त्रालय ने '' एक रैंक एक पैन्शन'' का अर्थ ही बदल दिया यह कोशियारी कमेटी की सिफारशों के एकदम विपरीत था। पूर्व सैनिकों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया। इस पर सरकार ने जस्टिस रैड्डी की अध्यक्षता में एक सदस्य कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने 26 अक्तूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसे पूर्व सैनिकों को उपलब्ध नही करवाया गया। इस पर एक और कमेटी बनाई गयी और उसका परिणाम भी यही रहा।

सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में 9 जून 2014 को दिये आश्वासन पर से भी यू टर्न ले लिया है। पूर्व सैनिक इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में जा चुके हैं। सरकार से अपने फैसले पर पुन: विचार करने का आग्रह किया गया है। लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये अपने जबाव में इस फैसले को बदलने से इन्कार कर दिया है। पूर्व सैनिकों में सरकार के जबाव से भारी रोष फैल गया है। हिमाचल में पूर्व सैनिकों का बड़ा प्रभाव है। स्मरणीय है कि जब मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की पैन्शन में कुछ बदलाव करने की योजना बनाई थी तब उसके खिलाफ भी कांगड़ा के ही पूर्व सैनिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और पैन्शन बदलाव के मुद्दे पर स्टे हासिल किया था। इस परिदृश्य में जब भाजपा एक पूर्व ब्रिगेडियर को उपचुनावों में प्रत्याशी बनायेगी तो सबसे पहले यह पूर्व सैनिक ही उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। जब केन्द्र सरकार '' एक रैंक एक पैन्शन'' पर सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न ले चुकी है तो क्या ब्रिगेडियर पूर्व सैनिकों के पक्ष में सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखायेंगे? क्या ऐसे में ब्रिगेडियर की उम्मीदवारी पूर्व सैनिकों के लिये अपने ही मुद्दे पर अपने ही पक्ष-विपक्ष में फैसला लेने का संकट नही खड़ा कर देगा?

अमरेन्द्र के हटने के बाद ही क्यों उठे चन्नी और सिद्धू पर सवाल

टुकड़े-टुकड़े गैंग जब सरकार के रिकार्ड पर नही तो क्या भाजपा की खोज है यह

शिमला/शैल। प्रदेश के उपचुनावों के लिये कांग्रेस हाईकमान द्वारा नियुक्त किये गये स्टार प्रचारकों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चंन्नी, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धु और डा. कन्हैया के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने करारा हमला बोला है। चरणजीत सिंह चन्नी को महिलाओं के प्रति बुरे आचरण वाला तथा सिद्धु और कन्हैया कुमार को देशद्रोही करार दिया है। सिद्धु के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाया था और कन्हैया कुमार ने जे.एन.यू. में देश के खिलाफ नारे लगाये थे। वह टुकडे-टुकडे गैंग के सदस्य हैं। यह आरोप अपने में बहुत गंभीर हैं और यदि सही में ऐसा है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिये। यदि यह आरोप केवल राजनीति से प्रेरित और चरित्र हनन की नीयत से लगाये गये हैं तो ऐसे प्रयासों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धु के खिलाफ यह आरोप पंजाब में कैप्टन अमरेंन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाये जाने के बाद सामने आये हैं। चन्नी पिछली सरकार के समय नेता प्रतिपक्ष रहे हैं लम्बे अरसे से विधायक हैं लेकिन तब कोई आरोप किसी द्वारा भी नहीं लगाया गया। सिद्धु तो अमरेन्द्र मंत्रीमण्डल में ही मंत्री थे। तब भी उनके रिश्ते पाकिस्तान के इमरान खान और बाजवा के साथ वैसे ही थे जैसे आज हैं। परंतु तब अमरेन्द्र को मुख्यमंत्री रहते इन रिश्तों से कोई आपति नहीं थी। वैसे तो अमरेंन्द्र सिंह के भी पाकिस्तान में मित्र हैं लेकिन उन पर किसी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया। इस नाते क्या चन्नी और सिद्धु पर उठते इन सवालों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने साइकिलिंग रैली को झंडी दिखाकर खाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला से हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन और

हीरो साइकिल द्वारा आयोजित 9वीं हीरो एमटीबी शिमला साइकिलिंग रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की साइकिल रैलियां बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा इससे लोगों, खासकर युवाओं में साइकिल चलाने के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और स्वच्छ वातावरण यहां का मुख्य आकर्षण है। शिमला जैसे शहरों में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।

हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित सूद ने रैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रैली में भारत के 22 शहरों से 100 प्रतिभागी राइडर और रक्षा बलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय चैंपियन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया।

एचपी साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

महापौर सत्या कौंडल, राज्यपाल के सचिव प्रियतू मंडल निदेशक हीरो साइकिल अभिषेक मुंजाल, वरिष्ठ अधिकारियों और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मादक पदार्थों पर नियन्त्रण के प्रयासों के लिए राज्यपाल ने पुलिस की सराहना की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य में मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण के लिए सक्रिय अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को इस अभियान की सफलता

के लिए अभिभावकों, युवा, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को शामिल कर अभियान पर विशेष बल देना चाहिए।

यह बात राज्यपाल ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का प्रचलन 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं में अधिक है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में मादक नियन्त्रण इकाइयां बढ़ाई जानी चाहिए और सजा दर को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा दिलवाकर समाज को जागरूक किया जा सके।

राज्यपाल ने मादक द्रव्यों का व्यापार करने वालों के लिए सभी पुलिस थानों में 29 नम्बर रजिस्टर आरम्भ करने के लिए पुलिस महानिदेशक को बधाई दी। पुलिस प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि राज्य में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने राज्य में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों व पहल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में मादक द्रव्यों के विभिन्न पहलुओं, एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों का डेटा और मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की रणनीतियों के बारे अवगत करवाया।

इससे पूर्व, पुलिस महानिदेशक ने हिमाचल प्रदेश पुलिस, जो कि देश की बेहतरीन आठ पुलिस बलों में से एक है, को सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया फ्लैग लोगो राज्यपाल को प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर, पुलिस महानिरीक्षक क्राइम अतुल फुलजले ने पुस्तुति दी।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा युवाओं को मादक द्रव्यों बारे जागरूक करने के लिए तैयार किया गया वीडियो गीत भी प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल ने विभाग की इस पहल की सराहना की।

राज्यपाल ने हिमाचली काला जीरा पर तैयार विशेष आवरण का अनावरण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज भवन में भारतीय डाक विभाग के हिमाचल

प्रदेश डाक वृत द्वारा तैयार हिमाचली काला जीरा पर तैयार विशेष आवरण का अनावरण किया।

डाक विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचली काला जीरा प्रदेश के किन्नौर, लाहौल-स्पीति, पांगी और भरमौर के वनों और घास वाले ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। उन्होंने कहा कि औषधीय गुणों के अतिरिक्त इसके बीज अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इस मसाले की काफी अधिक मांग रहती है, क्योंकि काला जीरा फसल पकने के एक माह बाद ही दुकानों पर मिलना कठिन होता है।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मीरा रंजन शेरिंग ने राज्यपाल को विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

निदेशक डाक, सेवाएं दिनेश कुमार मिस्त्री और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

मानसिक रोगियों के लिये कॉउंसलिंग जरूरीः राज्यपाल

शिमला/शैल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शिमला स्थित हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्कूल स्तर से परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों का इलाज़ सब के सहयोग और सकारात्मक भाव से संभव है।

आर्लेकर ने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के आयोजन सम्बन्धी भावना समझने और उसके अनुरूप कार्य करने की आवश्कता है। उन्होंने कहा कि मानसिक दुर्बलता उस व्यक्ति की नहीं होती है, जो पीड़ित है बल्कि उस समाज की होती है, जो ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। उन्होंने कहा कि वह गोवा राज्य में मानसिक रोगियों के उपचार के लिये अस्पताल चला रहे हैं, इसलिए वह इस परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

उन्होंने कहा कि समाज में आ रही विकृतियों के कई कारण हो सकते हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस परिवार पर यह मुश्किल आती है, उनके लिये कितना कठिन होता है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर बच्चों को परामर्श सेवाएं मिलनी चाहिए क्योंकि यदि ठीक समय पर परामर्श सेवाएं नहीं मिली तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान एक दिन का नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास करने और एकजुट प्रयास करने की जरूरत है।

हिमाचल रेडक्रास अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। उन्होंने कहा कि आज के भौतिक युग में हम अपनी खुशियां बाहर ढूंढते है, जो स्थाई नहीं हैं। इसी के कारण हम अपने आप को और रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि परिवार भी ऐसी स्थिति में सहयोग नही करता है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये योग करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि पारिवारिक व्यवस्था को समझे, जीवन मूल्यों को अपनाएं तथा हम समाज को क्या दे सकते हैं इस पर विचार करें। यह भाव ही हमें हर चुनौती का सामना करने में सहायक होगा।

हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक संजय पाठक ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति एक शांत व गुणात्मक ज़िन्दगी व्यतीत कर सकता है यदि उसे सही उपचार व अपने सगे संबंधी तथा दोस्तों का प्यार व सहयोग मिले। उसके जीवन में संतुलन बनाने आवश्यक है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने अस्पताल में उपचाराधीन व्यक्तियों से बातचीत की।

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया

शिमला/शैल। दृढ़ इच्छाशक्ति से हम योग को खेल का रूप दे सकते हैं। यह बात राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज भवन में हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए कही। उन्होंने लड़कों और

लड़कियों की कुल छः श्रेणियों के 18 विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

आर्लेकर ने कहा कि सैंकड़ों वर्षों से योग हमारी परम्परा और जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमें और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

लड़कियों के सब-जूनियर वर्ग में श्रद्धा ने कांस्य पदक, निधि डोगरा ने रजत पदक और दिशा डोगरा ने स्वर्ण पदक और विद्यार्थियों के सब-जूनियर वर्ग में सन्दीप ने कांस्य पदक, अभिषेक ने रजत पदक तथा विश्वजीत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

लड़कियों के जूनियर वर्ग में श्रुति त्रेहान ने कांस्य, नितिका ने रजत तथा पूर्बा भाटी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार जूनियर विद्यार्थी वर्ग में हर्ष वर्धन ने कांस्य, पियुष मेहता ने रजत और हितेश कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

लड़कियों के सीनियर वर्ग में कमलेश कुमारी ने कांस्य, कौशल्या देवी ने रजत और भारती ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विद्यार्थियों के सीनियर वर्ग में दीक्षित ने कांस्य, अमित ठाकुर ने रजत और निकेतन पुण्डीर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

राज्यपाल ने ऑनलाइन योगासन खेल प्रतियोगिता में तकनीकी रूप से प्रतियोगिता का संचालन करने वाली टीम के सदस्यों शुभम शर्मा, अनुपमा चदेल, गोपाल अत्री, ईशान चौहान, नवीन कुमार, विवेक सूद, हेत राम और रणजीत सिंह को भी प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने पंकज डढवाल और नवीन कुमार को भी सम्मानित किया।

हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के अध्यक्ष प्रो. जी.डी. शर्मा ने कहा कि राज्य में योग खेलों का भविष्य उज्ज्वल है।

घर–घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित केवल पांच लोगों को ही प्रचार की अनुमति

शिमला/शैल। मण्डी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप–निर्वाचन के दष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सी.पालरासू की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय निगरानी के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को निर्वाचन व्यय निगरानी नियमावली (फरवरी, 2019) के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। चुनाव प्रचार के लिए स्टार कैम्पेनर की संख्या राष्ट्रीय दलों के लिए 20 तथा राज्य स्तरीय दलों के लिए 10 निर्धारित की गई है और इनकी सूची निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर उपलब्ध करवानी होगी।

उन्होंने कहा कि अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राजनीतिक दलों को उनके प्रत्याशी चयनित होने की तिथि से 48 घण्टे के भीतर अथवा नामांकन की प्रथम तिथि से दो सप्ताह पूर्व, जो भी पहले हो, की अवधि में उन पर चल रहे मामलों की सार्वजनिक जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्रत्याशियों के लम्बित अपराधिक मामलों का विवरण देना होगा और साथ ही ऐसे प्रत्याशी को चयनित करने के कारण भी बताने होंगे। यह जानकारी एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के अलावा राजनीतिक दल के अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिसमें फेसबुक और ट्वीटर भी शामिल हैं, पर भी दर्शानी होगी। राजनीतिक दलों को इस बारे में प्रत्याशी चयन के 72 घण्टे की अवधि में इसकी अनुपालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को जमा करवानी होगी।

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को भी इस बारे में चुनाव अवधि में एक घोषणा समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार प्रकाशित व प्रसारित करनी होगी। नामांकन वापस लेने की तिथि से अगले दिन और मतदान पूर्ण होने से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में निर्धारित प्रपत्र पर यह घोषणा करनी होगी। प्रथम बार नामांकन वापस लेने की तिथि से चार दिनों की अवधि में, दूसरी पांच से आठ दिनों के मध्य तथा तीसरी बार 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार अभियान के अन्तिम दिन के मध्य प्रकाशित करनी होगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोविड–19 नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। घर–घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित केवल पांच लोगों को ही प्रचार की अनुमति होगी। रोड–शो, मोटर/बाइक/साइकिल रैली की अनुमति नही होगी। वर्चुअल माध्यम से प्रचार के दौरान एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी और इस दौरान कोविड–19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दलों को (स्टार प्रचारक को छोड़कर) अधिकतम 20 वाहनों के माध्यम से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचार की अनुमति होगी। साइलैंस अवधि मतदान समाप्त होने से 72 घण्टे पूर्व निर्धारित की गई है। मतदान वाले दिन अधिकतम दो वाहनों जिनमें प्रति वाहन तीन व्यक्ति हों, की ही अनुमति रहेगी। हालांकि सुरक्षा में लगे वाहनों को निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनुमति रहेगी। मतगणना वाले दिन निश्चित दूरी सहित कोविड मानकों का पालन करना होगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाओं और रैलियों से जुड़ी व्यय योजना निर्धारित प्रपत्र पर जमा करनी होगी। नामांकन दाखिल करने सहित रैली इत्यादि तथा झण्डे, टोपियां, मफलर, वाहन इत्यादि जिसमें प्रत्याशी का नाम अथवा फोटो अंकित हो, के व्यय को प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। आन्तरिक सभाओं में कुल क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा स्टार कैम्पेनर के लिए 1000 तथा अन्य सभी सभाओं में 500 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशी/चुनाव एजेंट/ पोलिंग एजेंट/ मतगणना एजेंट/चालक इत्यादि जिन्हें कोरोना टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, लेकिन दूसरी खुराक के लिए वे योग्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर मतदान और मतगणना केन्द्र में आने की अनुमति होगी। यदि इनमें से किसी ने टीके की पहली खुराक भी नही ली हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें 48 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रवेश की अनुमति होगी। टीकाकरण न करवाने वाले प्रत्याशियों के नामांकन भी स्वीकृत किए जाएंगे।

कोविड–19 सावधानियों के दृष्टिगत चुनाव प्रचार की अवधि प्रात: 10:00 बजे के बाद सायं 7:00 बजे तक निश्चित की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे लोगों को अधिक से अधिक मताधिकार के लिए प्रोत्साहित करें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दलीप नेगी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति सबीना ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति सबीना ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ भी उपस्थित थे।

इस समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में हुआ, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सबीना के स्थानांतरण के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को पढ़ा।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस.राणा, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नामांकन पत्रों की छंटनी प्रक्रिया में दो उम्मीदवारों के नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत

शिमला/शैल।निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप–चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की छंटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छंटनी के उपरान्त चार कवरिंग उम्मीदवारों सहित कुल छ: उम्मीदवारों के नामांकन अस्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से छ: उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। इनमें भाजपा के उम्मीदवार ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर, आइएनसी की प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की अम्बिका श्याम, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के मुन्शी राम ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार व सुभाष मोहन स्नेही शामिल हैं। यहां से कांग्रेस पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार सुन्दर सिंह ठाकुर व भाजपा की कवरिंग प्रत्याशी प्रियंता शर्मा का नामांकन अस्वीकृत किए गए हैं।

अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रत्न सिंह पाल, कांग्रेस पार्टी के संजय अवस्थी और निर्दलीय प्रत्याशी जीत राम के नामांकन सही पाए गए हैं। यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सतीश कुमार कश्यप का नामांकन अस्वीकृत हुआ है।

उन्होंने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं जिनमें भाजपा के बलदेव ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के पंकज कुमार दर्शी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. अशोक कुमार व डॉ. राजन सुशान्त शामिल हैं। यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार जीत कुमार का नामांकन स्वत: अस्वीकृत हो गया जबकि निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम चन्द का नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से चार उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। इनमें भाजपा कि नीलम सरैइक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोहित ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी चेतन सिंह बरागटा और सुमन कदम शामिल हैं। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी केवल राम नेगी का नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत हो गया है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र या 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लाकर कर सकेंगे मतदान

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सी.पालरासू ने मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे उप–निर्वाचन के दृष्टिगत 30 अक्तूबर, 2021 को मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए साथ लाएं।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप–निर्वाचन में सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि एपिक के संबंध में लेखन की अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो ऐसे एपिक भी पहचान करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्रों में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा और ऐसे मामलों में कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.पालरासू ने कांगड़ा, सोलन, मण्डी, कुल्लू, शिमला, चम्बा, किन्नौर और लाहौल–स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मण्डी लोकसभा क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल– कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप–निर्वाचन के दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के दौरान वाहनों व लाउड स्पीकरों के प्रयोग के बारे में स्थाई अनुदेश पहले ही जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए गठित समिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस समिति की बैठकें आयोजित करके आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के साथ–साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए प्रेरित करने को कहा है। इन निर्वाचनों के दौरान पुलिस विभाग व अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदूषण के सम्बन्ध में भी वाहनों की नियमित जॉच करने और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी पर्याप्त उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

दुसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएँगी।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

सरकार की हताशा का प्रमाण है लखीमपुर प्रकरण

किसान आन्दोलन को लम्बाने और असफल बनाने के जितने भी प्रयास किये जायेंगे उससे सरकार के प्रति आम आदमी का रोष उतना ही बढ़ता जायेगा यह लखीमपुर प्रकरण से प्रमाणित हो गया है। क्योंकि इस प्रकरण से पहले जिस भाषा और तर्ज में गृह राज्य मन्त्री ने किसानों को सबक सिखाने की चेतावनी दी थी उसका विडियो सामने आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आन्दोलन को हिंसा से कुचलना चाहती थी। प्रकरण घट जाने के बाद जिस तरह मन्त्री अजय मिश्रा अपने बेटे के घटना स्थल पर होने से ही इन्कार कर रहे थे उसका सच भी तब सामने आ गया जब क्राईम ब्रांच ने मन्त्री के पुत्र को लम्बी पूछताछ के बाद इस कारण गिरफ्तार किया कि वह जांच में सहयोग नही दे रहा था। पुलिस के सवालों का जबाव नही दे रहा था। क्राईम ब्रांच की पूछताछ में शामिल होने के लिये आशीष मिश्रा अपने साथ दो वकील लेकर गया था। इसलिये वह पुलिस पर किसी भी तरह का दबाव डालने का आरोप नही लगा सकता। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रा के त्याग पत्र की मांग बढ़ती जा रही है और बहुत संभव है कि प्रधानमन्त्री उनका त्याग पत्र भी ले लें।

इस लखीमपुर प्रकरण से यह प्रमाणित हो गया है कि किसान आन्दोलन को किसी भी तरह की हिंसा से दबाना संभव नही होगा। 26 जनवरी को भी इसी तरह का प्रयास हुआ था। उससे पहले जिस तरह सड़क पर कीलें गाडकर रोकने का प्रयास किया गया था वह भी सारे देश ने देखा है। जो आन्दोलन जायज मुद्दों पर आधारित होते हैं और हर छोटे-बड़े को एक समान प्रभावित करते हैं ऐसे आन्दोलन किसी भी डर से उपर हो जाते हैं। ऐसे आन्दोलन को राजनीति से प्रेरित करार देना अपने आपको धोखा देना हो जाता है। राजनीति द्वारा प्रायोजित आन्दोलन और उनके नेतृत्व का अन्तिम परिणाम अन्ना आन्दोलन जैसा होता है। नेता आन्दोलन स्थल तक आने का साहस नही कर पाता है। अन्ना और ममता के साथ यही हुआ था। इसलिये आज सरकार और उसके हर समर्थक को यह अहसास हो गया होगा कि किसानों की मांगे मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नही रह गया है। क्योंकि इस सरकार के सारे आर्थिक फैसले केवल कुछ अमीर लोगों को और अमीर बनाने वाले ही प्रमाणित हुए हैं। मोदी सरकार ने मई 2014 में अच्छे दिन लाने के साथ देश की सत्ता संभाली थी। लेकिन आज यह अच्छे दिन पैट्रोल सौ रूपये और रसोई गैस एक हजार रूपये से उपर हो जाने के रूप में आये हैं। 2014 में बैंक जमा पर जो ब्याज देते थे वह आज 2021 में उससे आधा रह गया है। आज भी 19 करोड़ से ज्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं और इस सच को पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शान्ता कुमार ने अपनी आत्म कथा में स्वीकारा है। सरकार की आर्थिकी नीतियों ने सरकार को बैड बैंक बनाने पर मजबूर कर दिया है। किसी भी सरकार के आर्थिक प्रबन्धन पर बैड बैंक के बनने से बड़ी लानत कोई नही हो सकती है।

इस परिप्रेक्ष में यदि कृषि कानूनों पर नजर डालें तो जब यह सामने आता है कि सरकार ने कीमतों और होर्डिंग पर से अपना नियन्त्रण हटा लिया है तो और भी स्पष्ट हो जाता है कि गरीब आदमी इस सरकार के ऐजैण्डों मे कहीं नही है। जो पार्टी किसी समय स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से एफ डी आई का विरोध करती थी आज उसी की सरकार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी एफ डी आई ला चुकी है। आज सैंकड़ों विदेशी कम्पनियां देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर चुकी हैं। कृषि में कान्ट्रैक्ट फारमिंग लाकर इस क्षेत्र को भी मल्टीनेशनल कम्पनियों को सौंपने की तैयारी की गई है। इसलिये आज इन कृषि कानूनों का विरोध करना और सरकार को इन्हें वापिस लेने पर बाध्य करना हर आदमी का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। आर्थिकी को प्रभावित करने वाले फैसलों को राम मन्दिर, तीन तलाक, धारा 370 हटाने के फैसलों से दबाने का प्रयास आत्मघाती होगा। बढ़ती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी ने आम आदमी को यह समझने के मुकाम पर ला दिया है कि सरकार की इन उपलब्धियां का कीमतों के बढ़ने से कोई संबंध नही है। इसलिये सरकार को यह कानून वापिस लेने का फैसला लेने में देरी करना किसी के भी हित में नही होगा।

पूर्वोत्तर के आदिवासियों की आदि-सनातन मान्यताओं पर साम्राज्यवादी ईसाइयत का हमला

–गौतम चौधरी –

दुनिया भर में हर समाज की अपनी विश्वास प्रणाली है। एक लंबी परंपरा है, जो हर क्षेत्र में उसके फलने-फूलने की आधारशिला है। इसमें कोई भी परिवर्तन समाज के भीतर विरोध का कारण बन जाता है। पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न प्रकार के आदिवासी समूह निवास करते हैं। इनके जीवन जीने का तरीका अन्य समुदाय से अलग है और वह उनकी परंपरा, मान्यता एवं संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक समूह की अलग-अलग बोली, भाषा, पहनावा, आस्था और धर्म है, लेकिन वे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और भाईचारे में विश्वास करते हैं, जो आदि-सनातन भारतीय चिंतन का हिस्सा है।

दरअसल, पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में कथित रूप से सुधारवादी आन्दोलन की बात बतायी समझाई जाती है वह सुधारवाद का एक ढ़ोंग है। कुल मिलाकर यह पश्चिम का यानी यूरोपीय साम्राज्यवादियों का सांस्कृतिक आक्रमण है। यह लेख तथ्यात्मक बिंदुओं पर आधारित है और इसके माध्यम से हम कुछ विषयों पर विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे तथाकथित सुधारवादिता की आड़ में ईसाई मिशनरियों द्वारा सुधार और संरक्षण के नाम पर मिश्मी आस्था और संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है।

मिश्मी मुख्य रूप से चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी-अधिकांश भाग, अंज और लोहित जिलों में रहते हैं। मिश्मी प्रकृति, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। उनके पास अपनी धार्मिक प्रथाएं हैं और एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, जो उनके लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं और जीवन पद्धति पर आधारित है। जिस प्रकार अन्य जनजातीय समाज में देखने को मिलता है उसी प्रकार मिश्मियों के आस्थापरक मार्गदर्शन के लिए कोई धार्मिक पुस्तक या पैम्फलेट नहीं है। 1990 के दशक के अंत में, कुछ ईसाई मिशनरियों ने क्षेत्र में विकास लाने के बहाने भोले-भाले मिश्मी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया गया। ये मिश्मी यह समझते रहे कि ईसाई धर्म गुरु हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारे समाज के हित के लिए यह सब किया जा रहा है लेकिन ईसाई मिशनरियों ने मिश्मियों को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परतंत्रता के अलावा कुछ नही दिया। ईसाई मिशनरियां यह कहकर धर्मान्तरित करना शुरू कि ईसाई धर्म अपनाने से उनका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। मासूम मिश्मी को धर्मान्तरित कर परिवारों और उनकी अपनी परंपराओं से उन्हें अलग कर दिया गया। धर्मांतरित मिश्मी ने न सिर्फ ईसाई धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया बल्कि मूल मिश्मी विश्वास का पालन करने वाले अपने भाइयों के प्रति दुर्भावना भी दिखाने लगे। यही तो साम्राज्यवादी ईसाई मिशनरियों की चाल थी जो सफल होने लगी।

वर्तमान में, मिश्मी को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रिश्चियन मिश्मी और स्वदेशी मिश्मी। सुधार के नाम पर मिश्मी समाज धीरे-धीरे अपनी पहचान और संस्कृति खोती जा रही हैं। कुछ हद तक, ईसाइयों द्वारा स्वदेशी विश्वास और संस्कृति सुधार राजनीति से प्रेरित है, जो लंबे समय में समाज के लिए हानिकारक है। अभी कुछ वर्षों से जनजातियों की स्वदेशी आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि स्वदेशी विचार का प्रचार भी हो रहा है लेकिन ईसाई षडयंत्र बड़ी तेजी से पृथकतावाद में परिवर्तित हो रहा है। एक सभ्य इंसान के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म, आस्था का सम्मान करना चाहिए। निहित स्वार्थों के लिए किसी के विश्वास को धक्का देना गैर-धार्मिक और अमानवीय है। इसलिए, दुनिया भर के प्रत्येक समाज को अपने विश्वास और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आखिरकार, संस्कृति का नुकसान, अपनी पहचान का नुकसान है। यही नही यह एक प्रकार की परतंत्रता भी है। पूरा अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका यहां तक एशिया के कई देश सांस्कृतिक गुलामी के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं।

जनजातियों की आदि-सनातन परंपरा भारत का मूल चिंतन है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का चिंतन है। यह अनेकांत का चिंतन है। यह अहिंसक चिंतन है। साम्राज्यवादी धार्मिक आस्था प्रकृति के खिलाफ संघर्ष के लिए उकसाता है जबकि आदि चिंतन प्रकृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। इसलिए अपने मूल चिंतन की ओर हर समाज को लौटना चाहिए। कभी यह नही समझना चाहिए कि हमारा चिंतन हीन है। सदा यह सोचना चाहिए कि प्रकृति पूजक देवताओं ने हमें हमारे पोषण के लिए संसाधन उपलब्ध कराया है, न कि शोषण, भोग, विखंडन के लिए।

अष्टलक्ष्मी : प्रगति की सर्वोत्तम राह पर पूर्वोत्तर

– बी. एल. वर्मा –
पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के आठ राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, आज पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण हैं। उग्रवाद, अलगाववाद समेत कानून – व्यवस्था की समस्याएं अब अतीत की बातें हैं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय मौजूदा सरकार को जाता है, जिसने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण की दिशा में काफी काम किया है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए सरकार ने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई पहलें की हैं। एनईआर में चल रही कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में राजधानी सड़क संपर्क, राजधानी रेल संपर्क, हवाई संपर्क, बिजली, दूरसंचार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं। ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मुख्य प्राथमिकता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के बीच संपर्क को बढ़ाना है। तीन महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रासपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत – म्यांमार – थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला – अखौरा रेल लिंक (बांग्लादेश की ओर) हैं। इनमें से अधिकांश बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 2023 – 24 तक पूरी होनी हैं, जिससे पूर्वोत्तर में विकास को और गति मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के तहत, पिछले कुछ वर्षों में आवंटित संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है। 2014 – 15 में यह 27,359 करोड़ रुपये था, जो 2020 – 21 में बढ़कर 51,270 करोड़ रुपये पहुंच गया। 2020 – 21 के दौरान आरई के सापेक्ष वास्तविक व्यय प्रतिशत 94.72% रहा। चालू वित्त वर्ष 2021 – 22 में, एनईआर के विकास के लिए 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत आवंटन 68,020 करोड़ रुपये है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने और सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जल आपूर्ति, बिजली और संपर्क से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचे के विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए व्यावहारिक कदम उठा रहा है। इस योजना के तहत, 31 मार्च 2021 तक 2452.62 करोड़ रुपये की 99 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। शुरूआत से ही एनएलसीपीआर – राज्य योजना के तहत विभिन्न एनईआर राज्यों को 16233.78 करोड़ रुपये की 1635 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 9433.29 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क और पुल, बिजली, जलापूर्ति और सीवेज, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में 1195 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) अपनी योजना के तहत परिवहन और संचार, बिजली, मानव संसाधन विकास और रोजगार, सिचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू कर रही है। वर्तमान में, एनईसी अपनी योजनाओं के तहत एनईआर में विभिन्न क्षेत्रों जैसे बांस, सुअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा समेत तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और पिछड़े इलाकों में विशेष पहल, आजीविका परियोजनाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित कर रहा है। एनईसी की योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान 4227.88 करोड़ रुपये की 650 परियोजनाएं मंजूर की गईं और 4809.66 करोड़ रुपये के 752 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) के तहत, एनईसी महत्वपूर्ण और रणनीतिक अंतर – राज्यीय सड़कों को अपग्रेड का काम कर रहा है। एनईआरएसडीएस के तहत 1566.75 करोड़ रुपये लागत की 24 परियोजनाएं शुरू की गईं, 87.86 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएं पूरी हो गईं जबकि 1478.89 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएं अभी चल रही हैं।

हाल ही में सरकार ने पूर्वोत्तर के व्यापक कवरेज के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल/पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज एनईआर के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, बेहतर कृषि सुविधाएं देने, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं हासिल करने में मदद करेगा जिससे आयोजनों में भागीदारी, जीआई उत्पादों के पंजीकरण, एफपीओ को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से वैश्विक बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके।

जहां तक एनईआर में पर्यटन की बात है, वहां अपार संभावनाएं हैं क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन संसाधनों के मामले में एनईआर अद्वितीय है। यह क्षेत्र इको – टूरिज्म, वन्य जीवन, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, साहसिक इवेंट, टी टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक, क्षेत्रीय पर्यटन, गोल्फ और कई अन्य चीजों के लिए काफी संभावनाएं और अवसर मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सिक्किम में खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। हवाई, रेल, सड़क से संबंधित संपर्क के क्षेत्रों और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए दूरसंचार और चल रही केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख बिजली परियोजनाएं, जो अलग – अलग चरण में हैं, के पूरा होने के बाद एनईआर में पर्यटन क्षेत्र को गति मिलेगी।

26 अगस्त 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ साझेदारी में और यूएनडीपी – भारत के तकनीकी सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहला जिला स्तरीय एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड तैयार किया। सूचकांक और डेशबोर्ड में राज्य – वार, जिले वार और एसडीजी वार तुलनात्मक विशेषताएं हैं। आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के 120 जिलों में से 103 जिलों के लिए सूचकांक तैयार किया गया। रैंक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम 75.87 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा और सबसे कम स्कोर किफिर, नगालैंड (53.00) का था। यह सूचकांक एक अनोखा नीति उपकरण है, जिसमें जिले स्तर की प्रगति को मापने, महत्वपूर्ण कमियों को सामने लाने और संसाधन आवंटन में मदद करने की अपार क्षमता है। इसका उपयोग भविष्य के विकास की योजना बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

आज, यह स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सरकार एनईआर राज्यों के व्यापक परिवर्तन के लिए उन पर विशेष ध्यान देकर उन्हें भारत के अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गिलोय उपयोग के लिए सुरक्षित है:आयुष मंत्रालय

शिमला। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों एवं पोस्ट में गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया है।

यह परामर्श यह पुष्टि करने के लिए जारी किया जा रहा है कि गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) उपयोग करने के लिहाज से सुरक्षित है लेकिन कुछ समान दिखने वाले पौधे जैसे टिनोस्पोरा क्रिस्पा हानिकारक हो सकते हैं। गुडुची एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है, जिसे गिलोय के नाम से जाना जाता है और आयुष प्रणालियों में लंबे समय से चिकित्सा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) की सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रमाणित करने के लिए पीयर रिव्यू वाली अनुक्रमित पत्रिकाओं में अच्छी संख्या में अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। इसके हेपाटो – सुरक्षात्मक गुण भी अच्छी तरह से स्थापित हैं। गुडुची अपने विशाल चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है और इसके इस्तेमाल को विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

यह देखा गया है कि टिनोस्पोरा की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध हैं और केवल टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाना चाहिए, जबकि समान दिखने वाली प्रजातियां जैसे टिनोस्पोरा क्रिस्पा से प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

नीचे इन पौधों की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई ह

पौधे का हिस्सा	टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया	टिनोस्पोरा क्रिस्पास
तना	रंग में हरा छोटा घुमावदार निकला हुआ हिस्सा नही होता दूध जैसा स्राव नही होता	रंग में धूसर छोटा घुमावदार निकला हुआ हिस्सा होता है दूध जैसा स्राव होता है
पत्ते	दिल के आकार के होते हैं जो नीचे की तरफ घूमे हुए होते हैं	दिल के आकार के होते हैं और नीचे की तरफ घूमे हुए नही होते हैं
पंखुड़ियां	संख्या छह	संख्या तीन
गुठलीदार फल (फलों का गुच्छा)	गोलाकार या गेंद के आकार का रंग में लाल	दीर्घवृत्ताभ या रग्बी गेंद के आकार की तरह नारंगी रंग

पौधे की तस्वीर

इस प्रकार, यह दोहराया जाता है कि गुडुची एक सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है, हालांकि एक योग्य, पंजीकृत आयुष चिकित्सक के परामर्श से इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

आयुष मंत्रालय के पास फार्माकोविजिलेंस (आयुष दवाओं से संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की जानकारी देने के लिए) की एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है, जिसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। यदि आयुष दवाओं के सेवन के बाद कोई संदिग्ध प्रतिकूल घटना होती है तो इसकी सूचना आयुष चिकित्सक के माध्यम से नजदीकी फार्माकोविजिलेंस सेंटर को दी जा सकती है। इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि आयुष दवा और उपचार केवल एक पंजीकृत आयुष चिकित्सक की देखरेख में एवं परामर्श से ही लें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमठ को दी गई गरिमापूर्ण विदाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। उनका पदोन्नयन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में हुआ है।

उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित किया गया। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चैहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य इस अवसर पर उपस्थित थे। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने वर्चुअल माध्यम से फुल कोर्ट रेफरेंस में भाग लिया।

रजिस्ट्रार जनरल वीरेन्द्र सिंह ने कार्यवाही का संचालन किया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया वादियों को उचित और त्वरित न्याय मिले। एक न्यायाधीश के लिए केवल न्याय की गुणवत्ता और गति सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अक्षमता और निष्ठाहीनता के प्रति उनकी जीरो टोलरेंस है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय में 105 दिनों के दौरान उनकी पीठ ने 1511 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के न्यायालयों के लिए कई योजनाओं की परिकल्पना की और इस दिशा में कई प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बार के सदस्यों की सहायता के लिए कार्यालय से संबंधित आपत्तियों को दूर करने की समयावधि को 20 दिनों से बढ़ाकर 6 सप्ताह कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को जिला न्यायपालिका में सभी वर्गों के न्यायधीशों की भर्ती करने की शक्ति प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 में संशोधन किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए प्रशासनिक न्यायधीशों के अलावा प्रत्येक जिले के लिए गार्डियन न्यायाधीशों की नई अवधारणा को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के कारण बल्कि यहां के लोगों के व्यवहार के कारण भी एक सुन्दर प्रदेश है।

इस अवसर पर उन्होंने न्यायधीशों, बार के सदस्यों, न्यायिक अधिकारियों और रजिस्ट्री के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति रवि मलीमठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 07 जनवरी, 2021 को शपथ ली थी। वह 25 फरवरी, 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और एक जुलाई, 2021 को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) का पदभार संभाला। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति सबीना ने कहा कि न्यायमूर्ति रवि मलिमठ का जन्म 25 मई, 1962 में कर्नाटक के एक सम्मानित परिवार में हुआ। इनके दादा दिवंगत न्यायमूर्ति एस.एस मलिमठ एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कर्नाटक के एकीकरण के संघर्ष में बढ़-चढ़कर भाग लिया। इनके पिता स्वर्गीय डॉ. न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमठ की पहचान अब तक के बेहतरीन मुख्य न्यायाधीशों में होती है। वह कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध मुख्य न्यायधीश थे।

महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष अजय कोचर, प्रदेश उच्च न्यायलय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवनीश कंवर और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

सेब उत्पादकों के लिए विपणन मंच बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार:वीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि आदान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सेब उत्पादकों को उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए एक विपणन मंच बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ''वैश्विक चुनौतियों के लिए कृषि में बदलाव'' विषय के साथ किया गया था और इसमें कृषि से संबधित उद्योग के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

इस अवसर पर कंवर ने कहा कि राज्य सेब उत्पादकों को प्राकृतिक

खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि इससे निहित स्वार्थों द्वारा किए जा रहे हिमाचल के सेब के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसके तहत हमारे सेब को जहरीला बताया जा रहा है। कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार नियोजित कृषि विकास के माध्यम से कृषक समुदाय के तेजी से आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य के लिए हमारी रणनीति उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से सतत कृषि और उत्पादन की दिशा में है। कंवर ने उद्योग जगत से राज्य में संयुक्त रूप से उर्वरकों और कीटनाशकों की सही गुणवत्ता के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया।

डॉ एस के मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, भारत सरकार ने शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि एक कुशल इनपुट डिलीवरी सिस्टम कृषि में सफलता का आधार है और भारत सरकार सभी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

शिखर सम्मेलन में मयंक सिंघल, अध्यक्ष, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी पर सीआईआई एनआर समिति और पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वीसी और एमडी ने कहा कि प्रधान मंत्री की पहल का अनुसरण करते हुए 'मेक इन इंडिया, 'किसानों की आय दोगुनी करना', 'आत्मनिर्भर भारत' और भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को पौध संरक्षण रसायनों के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित करना अनिवार्य है, फसल की उपज कैसे बढ़ाई जाए और असली और नकली कीटनाशकों के बीच अंतर और हर खरीदारी के साथ जीएसटी बिल प्राप्त करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। सिंघल ने कहा कि नए कीटनाशक प्रबंधन के लिये कृषि आधारित रसायन कंपनियों द्वारा नए और सुरक्षित उत्पादों को बाजार में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अपने स्वागत भाषण में, रामित भारती मित्तल, सह-अध्यक्ष, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी पर सीआईआई क्षेत्रीय समिति और गोरमेट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कृषि इनपुट कंपनियों के लिए समय आ गया है कि वे किसानों को बेहतर ढंग से समझकर उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को सुदृढ़ करें।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीनिवास कुमार करावडी, बाजार विकास के प्रमुख-फसल विज्ञान प्रभाग -भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड ने कहा कि हमें स्थायी कृषि पर एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर केंद्रित हो। करावाड़ी ने कहा कि सरकार की नीतियां एक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम कर सकती हैं जो समूह उत्पादकता, कृषि लाभप्रदता और किसान समृद्धि का समर्थन करती है और कृषि इनपुट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं।

प्रतिनिधियों को संबोधित करने वाले कुछ अन्य प्रख्यात वक्ताओं में जुजर एस खोराकीवाला, सीएमडी, बायोस्टैड इंडिया लिमिटेड राहुल धनुका, सीओओ, धनुका एग्रोटेक लिमिटेड(एस के चौधरी, समूह निदेशक, सेफेक्स केमिकल इंडिया लिमिटेड(ललित बंसल, एमडी, सरस्वती एग्रो केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(डॉ. राजू कपूर, निदेशक -सार्वजनिक और उद्योग मामले, एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(वेंकटराम वसंतवाड़ा, एमडी और सीईओ, सीडवर्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड(अमन दयाल, ईडी, दयाल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड(नीरज केडिया, एमडी, चक्रधर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड(अजय राणा, एमडी और सीईओ, सवाना सीड्स(डॉ अरविंद कपूर, एमडी, एसेन हाइवेग(मल्लिकार्जुन जावली, प्रमुख - सार्वजनिक मामले, यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य।

शिखर सम्मेलन में फसल संरक्षण उद्योग के लिए नीति, विनियमों और दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श हुआ (भारतीय बीज उद्योग के लिए नीति, विनियम और दिशानिर्देश) वृद्धि पोषक तत्वों/उर्वरक के लिए नीति, विनियम और दिशानिर्देश।

ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 86 हजार से अधिक मरीजों को प्रदान की जा चुकी हैं टेली-परामर्श सेवा

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी की प्रदेश के लोग अब सभी कार्य दिवसों पर अपने मोबाइल फोन से या अपने नजदीकी स्वास्थ्य उप केंद्रों (एचएससी) या (पीएचसी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सुबह 9.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक वर्चुअल टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार के आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) कार्यक्रम के अन्तर्गत टेली-परामर्श सेवाएं शुरू की हैं ताकि आम लोग सामान्य जांच और पुरानी बीमारी के संबंध में, स्वयं महामारी से संक्रमित हुए बिना चिकित्सकों से परामर्श कर सकें। इस सेवा को भारत सरकार के ई-संजीवनी और ई-संजीवनी -ओपीडी पोर्टल पर शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण और टोकन प्राप्त करने के बाद टेली-परामर्श ले सकता है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित टेली-परामर्श केंद्रों में चिकित्सकों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें ई-प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने का भी प्रावधान है, जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ निजी दवाई की दुकानों में भी मान्य है। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 5700 मरीजों को लगभग 4500 ई-ओपीडी टेली- परामर्श प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2021 तक 4406 ई-ओपीडी परामर्श प्रदान किए गए हैं, जिनमें जिला बिलासपुर में 735, चंबा में 171, हमीरपुर में 572, कांगड़ा में 888, किन्नौर में 28, कुल्लू में 123, लाहौल-स्पीति में 5, मंडी में 544, शिमला में 533, सिरमौर में 154, सोलन में 427 ओर ऊना में 226 लोग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य ने ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों (एचडब्ल्यूसी) से टेली-परामर्श सेवाएं आरम्भ की है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक चिकित्सा अधिकारी एक मरीज को या स्वास्थ्य उप-केंद्र में (एचएससी) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, एस एल बी एस जी एम सी एच मंडी नेरचैक, आर के जी एम सी एच हमीरपुर और एम्स बिलासपुर में स्थापित पांच विशेषज्ञ हब में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों से विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श के रूप में सहायता प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अब तक इन मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ हब से प्रदेश के 722 स्वास्थ्य उप केंद्र और 509 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 14 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़ें हुए हैं और प्रदेश के लोगों को टेलीकंसल्टेशन सेवाएं प्रदान कर रहे है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित विशेषज्ञ हब द्वारा मेडिसिन, स्त्री रोग, शिशु चिकित्सा, हड्डी रोग, मनोचिकित्सा, हृदय रोग, स्नायु तन्त्र और त्वचा रोग के संबंध में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया जा रहा है। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 86 हजार 607 मरीजों को 1,10,000 से अधिक टेली-परामर्श प्रदान किए जा चुके है।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक लोगों को मेडिसिन के संबंध में 24,945, बाल स्वास्थ्य से संबंधित 12116, स्त्री रोग से संबंधित 12630, मनोचिकित्सा से संबंधित 10505, त्वचा रोग से संबंधित 10458, हड्डी रोग से संबंधित 3607, हृदय रोग से संबंधित 221, स्नायुतन्त्र से संबंधित 177 और इसके अतिरिक्त 36621 चिकित्सा संबंधित टेली-परामर्श प्रदान किए गए हैं।

प्रदेश में टेली-परामर्श सेवाओं के फलस्वरूप दूसरे और तीसरे स्तर के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ कम हुई है और कोविड संक्रमण का खतरा भी कम हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोग अब अपने घर से ही या घर के नजदीक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों से रोग संबंधी परामर्श ले रहे हैं जिससे उनके समय और पैसे की बचत हो रही है।

न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को दी गरिमापूर्ण विदाई

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गरिमापूर्ण विदाई दी गई, जिनका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया है। उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित

किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य उपस्थित थे।

कार्यवाही का संचालन रजिस्ट्रार जनरल वीरेन्द्र सिंह ने किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा अधिवक्ताओं के पारंपरिक परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि अत्यंत व्यस्तता के बावजूद न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने न केवल एक अधिवक्ता के रूप में बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में भी कइ व्याख्यान दिए हैं और कानून की समृद्धि में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के स्नेही स्वभाव और लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी सराही। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के सौहार्दपूर्ण व्यवहार और विनम्रता ने उन्हें बैंच और बार का प्रिय बना दिया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने न्यायधीशों, बार के सदस्यों, न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री के कर्मचारियों व अधिकारियों तथा इस अवसर पर संबोधन करने वालों का उनके प्रति स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीसरी पीढ़ी का अधिवक्ता होने के नाते, उनकी व्यावसायिक सफलता और पद कड़ी मेहनत का परिणाम है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने उनके साथ और आसपास अपने कर्तव्य का निर्वाह समर्पण और निष्ठा से करने के लिए सराहना की। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं में और सीखने की उत्सुकता व उत्साह के लिए उनकी सराहना की।

महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य आई.एन. मेहता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवनीश कंवर और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए।

न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को फुल कोर्ट रेफरेंस के पश्चात् गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पी. एस. राणा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. गोयल, न्यायमूर्ति के.सी. सूद, न्यायमूर्ति वी.के.शर्मा, हि.प्र. उच्च न्यायालय के पंजीयक, बार एसोसिएशन के सदस्य, रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश में जनवरी से अक्तूबर तक स्क्रब टाइफस के 648 मामले , 6 लोगों की मौत

शिमला/शैल। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशवासियों का आहवान किया है कि स्क्रब टाइफस से बचाव के दृष्टिगत अपने घरों और आसपास के क्षेत्र में झाड़ियां और घास फूस न उगने दें। झाड़ियों और घास फूस में पाए जाने वाले कीड़ों के माध्यम से यह रोग फैलता है। विभाग ने लोगों को स्क्रब टाइफस से सतर्क रहने की सलाह दी है।

विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामले जहां शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वही स्क्रब टाइफस के मामले अधिकतर गांवों में सामने आते हैं। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया का संक्रमण है और इसके लक्षण चिकनगुनिया जैसे ही होते हैं।

उन्होंने कहा कि इस बीमारी में सिर दर्द, सर्दी लगना, बुखार, शरीर में दर्द तथा तीसरे से पांचवे दिन के बीच शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मरीज में रोग के सभी या कुछ लक्षण सामने आ सकते हैं। इस रोग की अवधि दो से तीन सप्ताह की होती है। यह रोग कीड़ों के काटने से फैलता है।

प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमित होने के पश्चात् मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है और कुछ लोगों में जी-मिचलाने की भी शिकायत देखी जाती है। स्क्रब टाइफस बुखार 7 से लेकर 12 दिनों तक रहता है। बुखार बिगड़ने की स्थिति में कमजोरी और अधिक बढ़ती है। मरीज को बेहोशी और हृदय संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बुखार के चौथे से छठे दिन के भीतर शरीर पर दाने निगल आते हैं। यह रोग कम आयु के लोगों के खतरनाक नहीं होता है, लेकिन 40 वर्ष से अधिक आयु के 50 प्रतिशत मरीजों और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मरीजों के लिए स्क्रब टाइफस जानलेवा भी हो सकता है।

उन्होंने कहा कि जनवरी-2021 से 12 अक्तूबर, 2021 तक राज्य में स्क्रब टाइफस के लिए लगभग 4382 टेस्ट किए गए, जिनमें 648 लोग स्क्रब टाइफस पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में 132, चंबा में 45, हमीरपुर में 56, कांगड़ा में 63, किन्नौर में 3, कुल्लू में 17, मंडी में 97, शिमला में 153, सिरमौर में 25, सोलन में 37, ऊना में 19 के अलावा आईजीएमसी शिमला व मेडिकल कॉलेज टांडा में एक-एक मामला स्क्रब टाइफस पॉजिटिव पाया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्क्रब टाइफस से 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई हैं।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किचन गार्डन में दवा का छिड़काव करें ताकि इस रोग के संक्रमण से बचा जा सकें। उन्होंने कहा कि इस रोग के उपचार के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम

शिमला । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) शिमला, द्वारा एक सप्ताह (4-10 अक्तूबर, 2021) 'एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से बचने

के लिए जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। समारोह के उद्घाटन पर आईआरओ शिमला के क्षेत्रीय अधिकार सत्य प्रकाश नेगी (आईएफएस) ने प्रतिभागियों से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से बचने और अपने दैनिक जीवन में जितना संभव हो सके इस पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी व्यक्तिगत आदतों में बदलाव लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू स्तर से लेकर नगर पालिका स्तर तक एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए उचित तंत्र और बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए।

इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 से कक्षा 12 वर्ग के स्कूल/कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित ''एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग से बचाव'' विषय पर आयोजित वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्त हुए वीडियो को सेमीनार हॉल में क्षेत्रीय अधिकारी तथा समस्त कर्मचारियों के समक्ष प्रदर्षित किया गया। तत्पष्चात निर्णायक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार डी.ए.वी., सीनीयर सेकेन्डरी स्कूल, लक्कड़ बाजार से अविनाश शर्मा को प्रथम स्थान, ऑकलैण्ड हाउस स्कूल (गर्ल्स) से कुमारी शैरिन ठाकुर को द्वितिय स्थान एवं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लालपानी के महेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार धनराशि प्रदान करने की घोषणा की गई।

इस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 अक्तूबर को कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 'एकल-उपयोग प्लास्टिक से बचाव' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 6 अक्तूबर को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के प्रांगण में स्वच्छता अभियान पर भारतीय वन सर्वेक्षण, शिमला द्वारा निर्मित वीडियो के साथ अन्य प्रेरणादायी वीडियों को प्रदर्षित किया गया। इसी कड़ी में 7 अक्तूबर को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के प्रांगण में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में समस्त केन्द्रीय कार्यालय परिसर के आस-पास के कचरे की सफाई की गयी, जिसमें एकल-प्रयोग प्लास्टिक के निस्तारण का खास ध्यान रखा गया।

इस अवसर पर आईआरओ शिमला के वैज्ञानिक बी, डॉ. अनूप कुमार दास ने हमारे परिवेश के सौंदर्य मूल्य पर एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रभाव और यह मानव के स्वास्थ्य, हमारे वनस्पतियों और जीवों और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि यदि हम अभी निवारक उपाय नहीं करते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्लास्टिक पर भोजन करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जैसे कि जंगली जानवर और आवारा जानवर वर्तमान समय में प्लास्टिक कचरे को खा रहे हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं की सूची बनाने के लिए खुद को चुनौती दें और उन प्लास्टिक वस्तुओं को चुनें जिनसे वे बच सकते हैं।

इसके अलावा, आईआरओ के कर्मचारियों ने एकल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और हतोत्साहित करने के बारे में अपने विचार और सुझाव दिए।

समापन टिप्पणी में कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने के लिए प्लास्टिक के बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष रूप से खाने योग्य, पैकेट और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं के रैपर के निपटान के लिए एक कूड़ेदान रखने का निर्णय लिया।

केंद्रीय टीम ले रही प्रदेश में टीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का जायजा

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम प्रदेश के दौरे पर है। भारत सरकार द्वारा देश में वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके दृष्टिगत केंद्रीय टीम प्रदेश पहुंची है।

उन्होंने कहा कि डॉ. सुदर्शन मंडल, उप महानिदेशक, केन्द्रीय टीबी प्रभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रदेश में पहुंची 18 सदस्यीय टीम 8 अक्तूबर, 2021 तक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में चल रही गतिविधियों का जायजा लेगी। टीम में नेशनल टास्क फोर्स के अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक कलकता सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े अन्य सदस्य शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यह टीम प्रदेश के कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मण्डी, बिलासपुर तथा प्रदेश के टीबी अस्पताल धर्मपुर में विभिन्न गतिविधियों का आंकलन कर रही हैं। इसके अलावा टीम गांव-गांव में जाकर भी टीबी मरीजों, आशा कार्यकर्ताओं, निजी चिकित्सकों, दवा विक्रेताओं, गैर सरकारी संगठनों और ज़िला प्रशासन से रू-ब-रू हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पहले प्रदेश सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा हैं तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना लागू की गई हैं, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को केंद्रीय टीम द्वारा काफी सराहा गया हैं। प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप ही राज्य को भारत सरकार ने 24 मार्च, 2021 को देश भर में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया है।

उन्होंने कहा कि यह टीम 8 अक्तूबर, 2021 को स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष चर्चा के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

क्या महेन्द्र सिंह एन जी टी को दिये आश्वासन पर अपने होटल का अवैध निर्माण गिरा चुके हैं

- क्या होटल सीट्रस पर लगा 20 लाख का जुर्माना अदा हो गया है?
- क्या इस होटल का अवैध निमार्ण गिरा दिया गया है?
- क्या वन भूमि पर अतिक्रमण के दोषी तीस होटलों से यह भूमि वापिस ले ली गई है?
- मुख्यसचिव एन जी टी के आदेशों की अनुपालना क्यों नही करवा पायें है

शिमला/शैल। We direct the Chief Secretary of State of Himachal Pradesh to take appropriate disciplinary action in regard to dereliction of duty and for not maintaining the records and taking action in accordance with law against all the employees, officers and officials who have dealt with this file whether they are in service or have retired and providing undue advantage to Noticees. In the case of retired officers/officials, the action would be taken for reduction in pension as per rules. The employees may be of the Department of Town and Country Planning, the Government of Himachal Pradesh, Department of Tourism, State Pollution Control Board or any other agency of the Government as may be deemed proper by the department.

यह आदेश एन जी टी ने 18 – 12 – 2017 को पारित किये थे। यह आदेश मंडी की सरकाघाट तहसील के गांव पारछू के निवासी रमेश चंद की याचिका पर पारित किये गये थे। यह याचिका हिमाचल सरकार और उसके पर्यटन टी सी पी, पी डब्लयू डी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग तथा प्रोमिला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह ठाकुर, रजत ठाकुर पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ दायर की गई थी। आरोप था कि इन्होंने मनाली में मनाली वैली के नाम से एक होटल का निर्माण कर रखा है जिसमें कुछ अवैध निर्माण तथा सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है। इस मामले की सुनवाई पर महेंन्द्र सिंह जो इस समय प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वंय हाजिर हुए और उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह अवैध निर्माण को गिरा देंगे तथा सरकारी भूमि को लौटा देंगे। अदालत ने उनके आश्वासन को स्वीकार कर लिया। Initially the case related to the hotel constructed by Shri Mahinder Singh Thakur, owner of the Hotel Manali Valley. However, on a subsequent date Mr. Thakur appeared and made a statement that he would demolish the unauthorized construction as well as restore the Government land occupied and take all anti-pollution measures to the satisfaction of the concerned authority. The team headed by S.D.M. ensure compliance and in view of the statement made by Mr. Thakur which was given effect to no further orders were called for and not passed.

महेंन्द्र सरकार के आश्वासन को स्वीकारने के साथ ही एन जी टी ने सरकार से इन बिंदुओं पर भी जवाब मांगा था।

1. How many hotels are operating in the city of Kullu, Planning Area, particularly in and around the Manali.

2. Out of them how many hotels have their own STP and other anti-pollution devices installed and how many are operating without obtaining consent of the Himachal Pradesh Pollution Control Board.

3. How many hotels out of them are located or constructed on the forest land.

4. How many cases of unauthorized construction which includes the construction which has been raised without obtaining sanction of the plan, NOC ordeviation or variations by addition of floors by construction of additional rooms beyond the sanction plan.

5. What action the State Government and the Pollution Control Board has taken in that behalf.

6. We direct Town and Country Planning Department and the State of Himachal Pradesh to submit whether any study or data have ever been prepared for the Kullu Planning Area with particularly Manali and its surrounding areas as to its carrying capacity, kind of development that should be permitted and keeping in view the fact that this area falls under Seismic Zone 4 and 5.

होटल मनाली वैली के साथ ही एक होटल सीट्रस का मामला भी अदालत के सामने आया। इसमें 37 कमरे बनाने की अनुमति लेकर 112 कमरे बना दिये जाने का मामला सामने आया। जब यह सवाल उठा कि इतना अधिक निर्माण कैसे हो गया? संबंधित विभागों के अधिकारी क्या करते रहे? जब संबंधित विभागों ने अपने जवाब दायर किये तो सबके स्टैण्ड अलग – अलग पाये गये। इसी से अदालत को इसमें सभी के मिले हुए होने की गंध आयी और अदालत ने अवैध निर्माण को गिराने के आदेशों के साथ ही इस प्रकरण में 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। एन जी टी के इस 18 – 12 – 2017 के निर्देश के बाद तहसीलदार कुल्लु और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मनाली ने उपमंडल के होटलों का 2018 में तीन बार निरीक्षण किया और 92 होटलों की एक सूची तैयार की जिसमें 30 के खिलाफ वन भूमि के अतिक्रमण का आरोप है। लेकिन इस सूची में होटल मनाली वैली और होटल सीट्रस का नाम शामिल नहीं है। इसी दौरान एक सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 73 होटलों की बनायी है। जिनके पास Consent to operate नहीं है।

जब एन जी टी के पास यह मामला आया था उसी दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इन अवैधताओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए इनके बिजली पानी के कनैक्शन काटने के आदेश जारी किये थे। इसमें कुल्लू मनाली में बने 547 होटलों में से 216 के पास आपरेट करने की अनुमति नहीं थी। परमाणु में अवैधताओं के आरोपों पर 44 होटलों का बिजली पानी काटा गया। धर्मशाला में 144 और कसौली में 44 होटलों के खिलाफ कारवाई की गयी। इसी दौरान कसौली कांड घट गया था। इसमें अधिकारियों को नामत: चिन्हित करते हुए शीर्ष अदालत ने इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे। रमेश चंद की याचिका पर अब तक अदालत में सुनवाई चल रही है। इसमें सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र में यह तो रिपोर्ट दी गयी है कि मनाली, धर्मशाला और मैकलोडगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने तथा कूड़ा इकट्ठा करने, यातायात और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि 18 – 12 – 2017 के निर्देशों पर कितना अमल हुआ है। क्या जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने अपने होटल का अवैध निर्माण गिरा कर सरकारी भूमि लौटा दी है? क्या होटल सीट्रस पर लगा जुर्माना अदा हो गया है और अवैध निर्माण गिरा दिया गया है? संबंधित विभागों से इस बारे जब पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बता पाये। अदालत के इन निर्देशों की अनुपालना जयराम सरकार को करनी थी क्योंकि निर्देश दिसंबर 2017 में हुए थे और उसके बाद सरकार बदल गयी थी। आज चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस को कह रहें हैं कि उनका मुंह न खुलवाओ कांग्रेस मुख्यमंत्री को कह रही है कि वह धमकाना छोड़ दें। ऐसे में आज यह सवाल पूछना ज्यादा प्रासांगिक हो जाता है कि मंत्री द्वारा अदालत को दिये आश्वासन की कितनी अनुपालना हो पायी है। क्योंकि रमेश चन्द इस मामले में सरकार द्वारा कोई कारवाई न किये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक देने तक पंहुच गया है।

अमरेन्द्र के हटने के बद ...पृष्ठ 1 का शेष

का पहला जवाब अमरेन्द्र सिंह से ही नहीं पुछा जाना चाहिये। इसी तरह कन्हैया कुमार पर लगने वाले टुकडे – टुकडे गैंग का सदस्य होने के आरोप का झूठ तब उजागर हो गया था जब संसद में आये एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह कहा है कि उसके पास टुकडे – टुकडे गैंग होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जब गैंग को लेकर ही सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर गैंग के साथ देश के खिलाफ नारे लगाने की बात स्वत: ही खारिज हो जाती है।

भाजपा की इस तरह की प्रतिक्रियाओं से वह सारे सवाल एक बार फिर जबाव मांगेंगे कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कैसे शामिल हो गये थे। हाफिज सैय्यद से मिलने के फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं लेकिन उनका कोई खण्डन/स्पष्टीकरण आज तक नही आया है।

यही नही दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही याचिका की सुनवाई में कोर्ट की यह टिप्पणी की ''यह दंगे प्रायोजित थे'' से राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में तूफान खड़ा हो गया है। इस पर फैसला सुरक्षित है और उन सारे राजनीतिक चेहरों पर उंगलियां उठनी शुरू हो गयी हैं जो इस दौरान विवादित रहे हैं। राजनीतिक विश्लेष्कों का मानना है कि जब भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर इस तरह से हमला किया है तो स्वभाविक है कि कांग्रेस भी प्रत्युत्तर में दिल्ली दगों के विवादित चेहरों पर निशाना साधेगी। क्योंकि इन्ही दंगों में प्रदेश से केन्द्र में एक मात्र मन्त्री अनुराग ठाकुर का नाम चर्चा में रह चुका है और वह प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रचारकों की सूची में एक बड़ा नाम है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों में रोचक बहस देखने को मिलेगी।